राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

परिपत्र

विषयः मंत्रिपरिषद् के सदस्यगण द्वारा यात्रा के संबंध में दिशा–निर्देश।

इस सचिवालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 06.09.2019 के कम में मंत्रिपरिषद् के सदस्यगण द्वारा यात्रा के संबंध में दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते है :–

1. मंत्रिपरिषद् के सदस्यगण सप्ताह के प्रथम तीन दिवस यथा सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार को जयपुर मुख्यालय पर ही रहकर जन अभाव अभियोग निराकरण एवं विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजकार्य सम्पादित करेंगे।
2. मंत्रिपरिषद् के सदस्यगण प्रत्येक माह में अपने प्रभार वाले जिले में कम से कम दो दिवस का भ्रमण करेंगे जिसमें जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, जन सुनवाई करेंगे एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे तथा इसकी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।
3. मंत्रिपरिषद् के सदस्यगण माह में 15 दिवस से अधिक का दौरा/यात्रा नहीं करेंगे।
4. मंत्रिपरिषद् के सदस्यगण के यात्रा/दौरे पर होने की सूचना/यात्रा कार्यक्रम संबंधित विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव द्वारा आवश्यक रूप से मंत्रिमण्डल सचिवालय को ई–मेल (srdscabinet@gmail.com) पर नियमित रूप से प्रातः 11.00 बजे तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगें।
5. उक्त वर्णित दिशा–निर्देशों में किसी प्रकार की शिथिलता की आवश्यकता है अथवा अन्य कोई भी भिन्न स्थिति हो, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही प्रस्थान किया जाना सुनिश्चित करेंगें।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे अन्यथा स्थिति में विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव जिम्मेदार होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव,
मा0 मंत्री/राज्य मंत्रिगण।

अशा. टीप क्रमांक प.12(1)मं.मं./2002
जयपुर, दिनांक : 22.11.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–
1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव।
3. संयुक्त सचिव (जी.बी), मुख्यमंत्री।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. प्रोग्रामर, कम्प्युटर सेल, सामान्य प्रशासन विभाग।

शासन सचिव